



पत्र संख्या- 368/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- दीदारगंज जनपद आजमगढ़: किशोरी के साथ बलात्कार में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 23.09.2024 को दोपहर बाद करीब 14.00 बजे प्रार्थी की पुत्री अपने मामा की पुत्री को उसके घर पहुँचाने के लिए घर से दोनो साथ पैदल निकली लेकिन अभी तक अपने मामा के घर नहीं पहुँची न ही प्रार्थी के घर ही वापस आयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 246/24 धारा 137(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान से मुकदमा उपरोक्त में धारा 69 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा 1. बाल अपचारी व अभियुक्त विजय कुमार पुत्र प्रकाश जैसवार निवासी ग्राम नन्दांव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें अभियुक्त विजय कुमार उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दि0 05.12.2024 उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजय कुमार पुत्र प्रकाश जैसवार निवासी ग्राम नन्दांव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को हैदराबाद चौराहे से समय करीब 6.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



02.थाना सिधारी आजमगढ़: किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 10.11.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी विराज चौहान पुत्र सुरेश चौहान ग्राम अमदही (बेनपुर) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया व पूछने जाने पर विधाता चौहान व विजय चौहान द्वारा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 442/24 धारा 87/137(2)/351(2)/352 बीएनएस बनाम 1. विराज चौहान पुत्र सुरेश चौहान 2. विधाता चौहान पुत्र सुरेश चौहान 3. विजय चौहान पुत्र सुरेश चौहान निवासीगण ग्राम अमदही(बेनपुर) थाना – जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05.12.2024 को प्रशिक्षु म0उ0नि0 खुशबू चौधरी, उ0नि0 युगराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विराज चौहान पुत्र सुरेश चौहान ग्राम अमदही (बेनपुर) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को छतवारा चौराहे के पास से समय 8.20 बजे सुबह नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ किया गया पैदल गस्त

आज दिनांक- 05.12.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ से बस अड्डा आजमगढ़ से घण्टाघर चौराहा से अग्रसेन चौराहा से कुँवर सिंह उद्यान तक पैदल गस्त किया गया। इस पैदल गस्त में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल ,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तथा थाना प्रभारी महिला थाना व कोतवाली तथा महिला थाना के पुलिस बल शामिल रहें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी द्वारा भी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पैदल गस्त किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी को निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ किया गया पैदल गस्त

आज दिनांक-05.12.2024 को शासन के निर्देशानुसार समस्त जनपद में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र के बवाली मोड़ से बस अड्डा आजमगढ़ से घण्टाघर चौराहा से अग्रसेन चौराहा से कुँवर सिंह उद्यान तक पैदल गस्त किया गया। इस पैदल गस्त में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल ,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तथा थाना प्रभारी महिला थाना व कोतवाली तथा महिला थाना के पुलिस बल शामिल रहें। इस अभियान में मिश्रित आबादी क्षेत्रों के मस्जिद, मंदिरों की चेकिंग की गयी व पैदल गस्त करने वाली महिलाओं/पुरुषों से बातचीत की गयी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त कर शासन के निर्देशों का पालन किया गया।

